छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 2098 / 153 / 2008 / परीक्षा   रायपुर, दिनांक 30 / 03 / 2010

संक्षिप्त विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05 / 2008 / चयन / दिनांक 27 / 03 / 2008, जिसका प्रकाशन रोजगार एवं नियोजन में दिनांक 02 / 04 / 2008 को हुआ है, के द्वारा सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग **के 04 पदों** हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन की कंडिका क्र. 12 में चयन प्रक्रिया का उल्लेख है। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पद पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर पूर्व विज्ञापन की कंडिका क्र. 12 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा, **जिसके लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रों की संवीक्षा किए बिना लिखित परीक्षा में नितांत प्रावधिक आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम एवं परीक्षा केन्द्रों की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से भेजी जाएगी।**

2/ विज्ञापन दिनांक 27 / 03 / 2008 की कंडिका क्र. 12 में यह उल्लेख था कि लिखित परीक्षा लेने की स्थिति में पाठ्यक्रम की सूचना आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त **पद हेतु केवल एक प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का 300 अंकों का होगा, तथा कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी।**

- **सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा—**

Section 'A'

सामान्य अध्ययन

(1) भूगोल—छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय—स्थिति तथा विस्तार धरातल तथा संरचना, प्राकृतिक तथा भौगोलिक प्रक्षेत्र तथा जलवायु।

(2) छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन—खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, वन्यप्राणी, कृषि तथा पशुधन। फसलों का क्षेत्रीय वितरण, कृषि का नियोजन, कृषि विकास, हरित क्रांति, पशुधन विकास, जल संसाधन—सिंचाई विकास परियोजना।

(3) छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढ़ांचा—प्रशासनिक ईकाइयां, प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, राज्य की आर्थिक व्यवस्था।

(4) छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय खेल।

(5) छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की भाषा / बोली, छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्व।

(6) सामान्य विज्ञान।

(7) प्रादेशिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समकालीन घटनायें।

(8) विविध।

Section - 'B'

GENERAL ENGLISH

The test in language proficiency (of XII standard) will have the following components:-

(I) Grammar

a. Verbs: Auxiliary and Modal Verbs, Main Verbs

b. Negatives and Interrogatives

c. Tenses: Time-Tense relationship

(II) Correction of Sentences

a. Related to articles, prepositions, adjectives, adverbs, etc.

(III) Vocabulary

a. Meaning: Synonyms and Antonyms

b. Spelling

(सेक्शन 'A' सामान्य अध्ययन से संबंधित 70 प्रश्न होंगे जो हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में होंगे, तथा सेक्शन 'B' सामान्य अंग्रेजी से संबंधित 30 प्रश्न होंगे।)

- उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उनके द्वारा पत्र व्यवहार के पते पर यथा समय प्रेषित कर दिए जाएंगे। यदि किसी कारणवश उन्हें परीक्षा तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तब वे आयोग कार्यालय में कार्यालयीन समय में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।
- **परीक्षा में ओ. एम. आर. (O.M.R.) उत्तर–पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। परीक्षार्थियों को ओ. एम. आर. (O.M.R.) उत्तर–पुस्तिका में प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प को काले बॉल पॉइन्ट पेन से पूर्णतः काला किया जाना होगा। चूँकि काले बॉल पॉइन्ट पेन से की गई प्रविष्टि स्थाई होगी इसलिए उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे परिवर्तित करना संभव नहीं होगा। इसलिए उत्तर अंकित करने के संबंध में परीक्षार्थी पर्याप्त सावधानी बरतें।**
- लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची से रिक्त पदों के 3 (तीन) गुना तथा अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वर्गवार प्रावधिक रुप से साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। साक्षात्कार में 35 अंक होंगे।
- लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चिन्हांकित ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, के द्वारा धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, आयु, आरक्षण की पात्रता तथा अन्य बिन्दुओं पर साक्षात्कार पूर्व सूक्ष्म संवीक्षा की जाएगी। प्रमाण पत्रों की सूक्ष्म जांच के पश्चात केवल अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार की पात्रता होगी, अन्य अभ्यर्थियों को विज्ञापन की संबंधित कंडिकाओं में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत अनर्ह कर दिया जाएगा।

सही/–

अवर सचिव (परीक्षा)

छ.ग. लोक सेवा आयोग,

रायपुर